न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ राज.

बइजलास – श्री सन्तोष कुमार मीना (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. 04 / 2020 / अपील

उनवान

1. देवीलाल उर्फ दयालदास पि. शंकर जाति माली नि. सुनेल तहसील सुनेल

— अपीलांटस

बनाम

1. गीताबाई पत्नि प्रभूलाल जाति धाकड नि. सुनेल तहसील सुनेल
2. राज सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल
3. राज सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा
4. ग्राम पंचायत सलोतिया जरिये सरपंच
5. ग्राम पंचायत सलोतिया जरिये ग्राम विकास अधिकारी

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 05.01.2018
नामा0सं. 794 ग्राम पंचायत सलोतिया

उपस्थिति – वकील अपीलांटस – श्री हुकुचन्द कुमावत

वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1 – श्री प्रेमचन्द चौधरी

वकील रेस्पोडेन्ट सं. 4 व 5 – श्री मतीन खान

आदेश **दिनांक :** 12/04/2022

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस ने ग्राम पंचायत . सलोतिया द्वारा निर्णित नामा.सं. 794 दिनांक 05.01.2018 के विरूद्ध अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आकोदिया पटवार मण्डल आकोदिया की आराजी ख.नं. 39, 40, 41 कुल रकबा 34 बीघा 11 बिस्वा भूमि के संबंध में दिनांक 22.03.2005 को अपीलांटस द्वारा उपखण्ड अधिकारी पिडावा के न्यायालय में धारा 88 आर.टी.एक्ट. के तहत वाद पेश कर अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था जिसमें इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2005 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की थी जिसकी

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.04.13 14:05:10 IST
Reason: Self Attested

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़

अपील माननीय न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 28.08.2008 को खारीज कर दी। इस प्रकार आदेश दिनांक 16.06.2005 वर्तमान में विद्यमान है जिसे खण्डित नहीं किया गया है। इसके बावजूद दिनांक 04.01.2018 को तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा नामा.सं. 794 दर्ज किया जिसे ग्राम पंचायत सलोतिया द्वारा दिनांक 05.01.2018 को तस्दीक किया। नामा.सं. 794 विधि विरूद्ध एवं न्याय की अवहेलना करते हुये ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया है जो कि निरस्त होने योग्य है।

वादग्रस्त आराजी का विकय पत्र दिनांक 15.03.2005 को पंजीयन किया गया। इस न्यायालय में वाद पत्र दिनांक 22.03.2005 को पेश किया जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 16.06.2005 को जारी की गई तब तक नामान्तरण दर्ज नहीं हुआ था। विकय पत्र दिनांक 15.03.2005 गलत , फर्जी व कूटरचित है। ग्राम पंचायत सलोतिया द्वारा बिना विधिक जांच किये नामा.सं. 794 स्वीकार किया जो कि खारीज योग्य है।

अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर आदेश ग्राम पंचायत सलोतिया दिनांक 05.01.2018 नामा0सं0 794 खारीज किया जावे। अपील के साथ नामा.सं. 794 की प्रति , ग्राम आकोदिया की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 83 एवं खसरा गिरदावरी की नकल व उपखण्ड अधिकारी पिडावा का निर्णय दिनांक 16.06.2005 की प्रति , माननीय न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 28.08.2008 की प्रति , रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 15.03.2005 की प्रति , आधारकार्ड की प्रति पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से एडवोकेट श्री प्रेमचन्द चौधरी एवं रेस्पोडेन्टस सं. 4 व 5 की ओर से एडवोकेट श्री मतीनखान ने वकालातनामा पेश किया।

वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में यह पाया कि ग्राम आकोदिया पटवार मण्डल आकोदिया की आराजी ख.नं. 39, 40, 41 भूमि के संबंध में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 16.06.2005 से वादग्रस्त आराजी की मौका व रिकार्ड की यथास्थिति जारी हुई थी जिसको माननीय न्यायालय भू.प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील

Signature Not Verified
Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.04.13 14:05:10 IST
Reason: SelfAttested

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
पिडावा जिला झालावाड़

प्राधिकारी कोटा द्वारा निर्णय दिनांक 28.08.2008 से यथावत रखा था इसके बावजूद ग्राम पंचायत सलोतिया द्वारा बिना विधिक जांच किये वादग्रस्त आराजी ख.नं. 39 के संबंध में दायर नामा.सं. 794 को दिनांक 05.01.2018 को तस्दीक कर निर्णय पारित किया जो कि न्यायहित में उचित नहीं है।

अतः प्रस्तुत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम आकोदिया पटवार मण्डल आकोदिया की आराजी ख.नं. 39 भूमि के संबंध में दर्ज नामा.सं. 794 दि. 05.01.2018 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो।

(सन्तोष कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़(राज.)
पिड़ावा जिला झालावाड़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Santosh Kumar Meena
Date: 2022.04.13 14:05:10 IST
Reason: SelfAttested